महत्वपूर्ण

प0सं0 - वि0अनु0शा0/ मु0/ स0प0/ 2023-24/ 16/ प्राथमिक रिपोर्ट/ 1079 / राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 02 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2023

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0), राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय: कतिपय वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा प्रवर्तन मैन्युअल में जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रूप से अनुपालन न किये जाने के संबंध में।

MIS मॉड्यूल का परिशीलन करने पर पाया गया है कि कतिपय वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जांच हेतु तैयार किये जा रहे केस प्रोफ़ाइल में Reason to Believe हेतु समुचित तथ्यों का तार्किक रूप से न तो अंकन किया जा रहा है और न ही व्यापार स्थल पर जांच के समय पाये गए तथ्यों एवं तदनुसार करापवंचन हेतु निकाले गए निष्कर्ष का पंचनामा में अंकन किया जा रहा है, जो प्रवर्तन मैन्युअल में निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

जांच संपादित करने के पश्चात तलाशी के विवरण विभागीय मॉड्यूल में प्रविष्टि हेतु प्रवर्तन मैन्युअल में निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है -

(i) *किसी स्थल / स्थलों की तलाशी की समाप्ति के 24 घण्टे के अन्दर तलाशी सम्बन्धी विवरणों की प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल के व्यास सेन्ट्रल माड्यूल पर एस0आई0बी0 टैब के सर्च डिटेल मैन्यू में नामित जांच अधिकारी द्वारा की जायेंगी तथा FORM GST INS 02, पंचनामा की पी0डी0एफ0 फाईल एवं Primary case story अपलोड की जाएगी।*

(ii) *तलाशी की कार्यवाही के एक सप्ताह के अन्दर प्राथमिक जांच रिपोर्ट सम्बन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी को नामित जांच अधिकारी द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्मय से प्रेषित की जाएगी एवं इसकी पी0डी0एफ0 फाईल माड्यूल पर अपलोड की जाएगी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट से प्रकाश में आए कर अपवंचन की धनराशि का उल्लेख भी माड्यूल पर सर्च डिटेल मेन्यू में अद्यतन किया जाएगा।*

परंतु कुछ अधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार तलाशी समाप्ति के 24 घण्टों के अंदर न तो INS-02, पंचनामा एवं प्राइमरी केस स्टोरी अपलोड की जा रही है और न ही प्राथमिक रिपोर्ट व करापवंचन की धनराशि का सम्यान्तर्गत अपलोड / उल्लेख किया जा रहा है। जिन अधिकारियों द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है उनके द्वारा पृथक से प्राथमिक रिपोर्ट तैयार न करते हुए मात्र पंचनामा की प्रति अपलोड की जा रही है जिसमें न तो जांच के समय पाये गये विस्तृत तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है और न ही अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का उल्लेख किया जा

रहा है। पंचनामा में अंकित किए गए तथ्यों को दोहराते हुए प्राथमिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। यह भी पाया गया है कि अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राथमिक रिपोर्ट संबन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी को प्रेषित नहीं की जा रही है, जो मुख्यालय द्वारा जारी प्रवर्तन मैन्युअल एवं समय-समय पर निर्गत किए गए दिशा-निर्देशों के अनुकूल नहीं है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है।

अतः उक्त विसंगतियों के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि जांच के दौरान प्रवर्तन मैन्युअल में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथोचित रूप से केस प्रोफ़ाइल तैयार की जाये तथा पंचनामा एवं प्राथमिक रिपोर्ट में समस्त तथ्यों का उल्लेख कर निष्कर्ष अंकित करते हुए जांच के दौरान कर व अर्थदण्ड आदि के रूप में जमा करायी गयी धनराशि का समावेश कर इंट्री मॉड्यूल में निर्धारित रिपोर्ट सम्यान्तर्गत अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1/8/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।